जोखिमग्रस्त प्रजातियों पर समझौता

12 जुलाई के दिन यू.एस. सरकार के मत्स्य एवं वन्य जीव विभाग और एक वन्य जीव संरक्षण समूह के बीच समझौता हुआ है। समझौते का आशय यह है कि जहां संरक्षण समूह सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी विभाग के खिलाफ मुकदमेबाज़ी में कटौती करेगा, वहीं मत्स्य एवं वन्य जीव विभाग प्रजातियों को ज़ोखिमग्रस्त सूची में शामिल करने के बारे में समयबद्ध फैसले करेगा। जिन प्रजातियों को इस सूची में शामिल करने के लिए याचिकाएं दायर की गई हैं, उनमें से प्रत्येक के बारे में तारीख निर्धारित की जाएगी कि कब तक उनके बारे में फैसला हो जाना चाहिए।

मत्स्य एवं वन्य जीव विभाग ने एक अन्य संरक्षण समूह वाइल्डलाइफ गार्जियन को भी कुछ इसी तरह के वायदे किए हैं और माना जा रहा है कि ये वायदे और उपरोक्त समझौता मिलकर ज़ोखिमग्रस्त प्रजातियों की पहचान के काम में तेज़ी ला सकते हैं। दरअसल ज़ोमिखग्रस्त प्रजाति कानून को लागू करने का काम यही विभाग करता है। अतः जितने जीवों को ज़ोखिमग्रस्त प्रजाति सूची में शामिल करने के आवेदन लंबित हैं उनके बारे में फैसले करने में तेज़ी आएगी। विभाग का तो कहना है कि इन संरक्षण समूहों की मुकदमेबाज़ी के कारण उसे ज़ोमिखग्रस्त प्रजातियों पर ध्यान देने का वक्त ही नहीं मिलता है।

मगर विशेषज्ञों के मुताबिक इस समझौते में एक दिक्कत है। 2012 के बजट में स्पष्ट कहा गया है कि मत्स्य एवं वन्य जीव विभाग को उसका बजट आवंटन तभी मिलेगा जब वह इसमें से कोई राशि ज़ोखिमग्रस्त प्रजातियों के सूचीकरण पर या खतराग्रस्त प्राकृतवासों की घोषणा करने पर खर्च न करे। डर यह जताया जा रहा है कि यू.एस. संसद ज़ोखिमग्रस्त प्रजातियों की सूची में और नाम जोड़ने पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। कई लोग इस कोशिश में लगे हैं कि संसद ऐसा कानून पारित न करे।

(स्रोत फीचर्स)